न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–127/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00280)

1. प्रेम सिंह पुत्र कर्मसिंह, जाति मेघ, निवासी बाघोर, तहसील किशनगढ–बास, जिला अलवर, राजस्थान।
2. तरसेम.....मृतक
   2/1. रणजीत सिह,
   2/2. बलजीत सिंह,
   2/3. रिंकूसिंह पुत्रान तरसेम सिंह,
   2/4. परमजीत कौर बैवा तरसेम सिंह,
   2/5. सोनिया पुत्री तरसेम सिंह,
   2/6. रेखा पुत्री तरसेम सिंह, जातियान मेघ, निवासीयान बाघोर तहसील किशनगढ बास, जिला अलवर, राजस्थान।
3. विधा पुत्री कर्मसिंह, पत्नी रतन सिंह, जाति मेघ, निवासी हाल बी–34/105, मधुबन कॉलोनी, बस्तीबाबा, खेल जालन्धर, पंजाब।
4. गुरमीत कौर पुत्री कर्मसिंह, पत्नी सोहन सिंह, जाति मेघ, निवासी हाल बीजवां तहसील रामगढ, जिला अलवर, राजस्थान।
5. प्रीतम कौर पुत्री कर्मसिंह, पत्नी विलायतीराम, जाति मेघ, निवासी हाल काली कोठी निवारू रोड़, झोटवाड़, जयपुर जिला जयपुर, राजस्थान।
6. प्रवेश कुमारी पुत्री कर्मसिंह, पत्नी प्रेमकुमार, जाति मेघ निवासी हाल चिकानी तहसील व जिला अलवर, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढ–बास जिला अलवर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 02.07.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ–बास जिला अलवर के आदेश दिनांक 28.02.2018 (प्रकरण संख्या 18/2016) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट्स की हाल आराजी खसरा नम्बर 54 रकबा 0.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 57 0.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 57/1206 रकबा 0.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 526 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 527 रकबा 0.42 हैक्टयर, खसरा नम्बर 603 रकबा 0.34 हैक्टयर खसरा नम्बर 611 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 625 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 689 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 701 रकबा 0.19 हैक्टयर, खसरा नम्बर 702 रकबा 0.19 हैक्टयर, खसरा नम्बर 719 रकबा 0.33 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1176 रकबा 0.06 हैक्टयर वाके ग्राम बाघोर तहसील किशनगढ–बास जिला अलवर में 1/2 भाग अपीलान्ट्स के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

जो अपीलान्ट को विरासत में प्राप्त हुई, अपीलान्ट के पूर्वज मेघ अनुसूचित जाति के सदस्य है, अपीलान्ट के पिता कर्मसिंह वक्त भारत–पाक विभाजन सन् 1947 में पाकिस्तान से भारत विस्थापित होने के लिये आये, स्टेटमेन्ट रिकॉर्डन्गि लोस ऑफ प्रोपर्टी एट दी टाईम ऑफ एवोकेशन यानि कि अपनी सम्मति को छोड़कर आये उस प्रपत्र में जो अभिकथन किया है उसमें कर्मसिंह ने अपनी जाति कबीर पंथी दर्ज की हुई, कबीर पंथी या मेघ एक ही जाति है जिसका उल्लेख कश्मीर राज्य की अनुसूचित जाति के अनुसूचित में दर्ज है, अपीलान्ट के मृतक पिता श्री कर्मसिंह भारत–पाकिस्तान विभाजन के समय पाकिस्तान से जालन्धर (पंजाब) आये जिन्हे भगत गोपीचन्द हरिजन सोसायटी वर्कन सन् 1949 में जालन्धर से अलवर जिला में लेकर आये और अलवर जिले की तहसील गॉव में कस्टोडियन विभाग द्वारा इन्हे भूमि ऑलौट की गई, अपीलान्ट के पिता कर्मसिंह जो कि ग्रुप लीडर थे उनके साथ आये अन्य लोगो को ग्राम बाघोर में व अन्य गांवों में राज्य सरकार द्वारा भूमि ऑलौट की गई थी वक्त आवंटन रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाये गये, रजिस्ट्रेशन कार्ड में भगत गोपीचन्द ग्रुप लीडर के साथ कई लोगों की जाति एम जट दर्ज की गई जो कि बाद में राजस्व रिकार्ड में एम शब्द हटाकर उनकी जाति जाट, कही पर मेघ जाट, कही पर पंजाबी जाट, कही पर आर्य जाट इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हुए जातियॉ राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है।

उन्होने आगे कथन किया है कि दरअसल मेघ जाति के लोगों को राजस्थान में विस्थापित होने पर इनकी भाषा पंजाबी होने के कारण शब्दावली के कारण इनकी जाति राजस्व रिकार्ड में मेघ जाति के स्थान पर गलत दर्ज हो गई एवं इन्ही की पुर्नावृति में अपीलान्ट की जाति भी रिकार्ड में मेघ जाति के स्थान पर गलत दर्ज हो गई जिसका कि कतई गलत अंकन हुआ है इस सम्बन्ध में अपीलान्ट की जाति की त्रुटि के कारण आये रोज जाति सम्बन्धी काफी परेशानी होती है, समय–समय पर मेघ जाति के कुछ लोगो द्वारा राज्य सरकार के सामने इस त्रुटि के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखा व प्रार्थना पत्र पेश किये गये, राज्य सरकार के प्रतिनिधि जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 06.08.1995 को व दिनांक 01.10.2003 को आदेश/निर्देश भी जारी किये गये कि इस तरह की जमाबन्दीयों की त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सही जाति दर्ज की जावे, यदपि जिला कलक्टर के आदेश/निर्देश के अनुसार सभी हल्का पटवारियों, तहसीलदारों को स्वयं प्रेरणा/स्वमोटो बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ दुरूस्त कर देना चाहिये था किन्तु ऐसा ना कर रेस्पोडेन्ट ने अहम गलती की है जबकि रेस्पोडेन्ट स्वयं लैण्ड होल्डर है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से यह बखूबी साबित था कि अपीलान्ट के बुजुर्ग मेघ अनुसूचित जाति के सदस्य है, स्टेटमेन्ट रिकॉर्डन्गि लोस ऑफ प्रोपर्टी एट दी टाईम ऑफ एवोकेशन यानि कि (अपनी सम्मति को छोड़कर) आये और यहॉं पुर्नस्थापित हुए, उस प्रपत्र में मृतक कर्मसिंह को कबीर पंथी दर्ज किया गया, कबीर पंथी या मेघ एक ही जाति है जिसका राज्य की

P.T.O.

अनुसूचित जाति में दर्ज किया हुआ है, इस सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नही किया तथा डिस्टेटरी, डिक्टेटरी, आरबीटेटरी व इलीगल तरीके से अपना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नही होने के कारण हर सूरत में काबिले खारिज है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कतई गलत व एवं विधि विरूद्ध विवेचन किया है कि किसी व्यक्ति को जाति बदलने का अधिकार नही है चूँकि यहा प्रकरण जाति बदलने का नही है बल्कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयों में जो लिपिकीय भूल एवं त्रुटियॉ की गई है और भूलवंश व त्रुटि के अनुसार अपीलान्ट की जाति मेघ के बाजऐ अलग–अलग समय पर अलग–अलग दर्ज की गई, इन त्रुटियों को दुरूस्त करने का प्रावधान एकमात्र भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत है और लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर इसके लिये सक्षम अधिकारी है तथा समय–समय पर लैण्ड रिकार्ड ऑफिसरों ने जाति के सम्बन्ध में त्रुटियों को दुरूस्त भी किया है तथा जाट के स्थान पर मेघ शब्द दर्ज करने के आदेश भी दिये गये है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यात्मक व विधि के सम्बन्ध में दिये गये प्रावधानों को भली भांति न तो अवलोकन किया, न ही उन पर गौर किया और गलत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निर्णय हर सूरत में काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ–बास जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2018 खारिज फरमाया जाकर उक्त वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट की जाति संशोधित कराने का आदेश अधीनस्थ न्यायालाय कको दिये जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से मकसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न अपीलान्ट संख्या 5 प्रतीत कौर पुत्री कर्मसिंह का एवं उनकी पुत्री मिनाक्षी व पुत्र विक्रम पाल सिंह के तहसीलदार जयपुर द्वारा मेघ (अनुसूचित जाति) के प्रमाण पत्र जारी किये गये जो कि अन्य अपीलार्थीगण के रिश्तेदार है जिनसे यह साबित होता है कि अपीलार्थीगण मेघ जाति से है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.02.2018 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

राजस्व आयुक्त जयपुर

P.T.O.

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है कि तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2018 को निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढबास जिला अलवर को निर्देशित किया जाता है प्रकरण में अपीलार्थीगण की आराजी के राजस्व अभिलेख में अपीलार्थीगण की जाति मेघ अंकित कराने की विधि सम्मत कार्यवाही सम्पादित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।